फाइल सं. ए.12018/51/2019-लेप
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडू में पैरा मेडिकल वर्कर, समूह 'ग' के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू तमिलनाडू में पैरा मेडिकल वर्कर, समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियों/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। baidyanath.prasad@nic.in

(बैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली
दिनांक 11/9/2020

[भारत के राजपत्र, भाग II खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख..........,2020

अधिसूचना

सा. का. नि............ -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगेलपट्टु (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनका लोप किया गया है का अधिक्रमण करते हुए एतदद्वारा केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगेलपट्टु, में परा-चिकित्सा कर्मी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंगेलपट्टु, परा-चिकित्सा कर्मी (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स या वेतनमान- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(1) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(2) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
परा-चिकित्सा कर्मी	10* (2019)*(*कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित गैर मंत्रालयी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3, (21,700/ - 96,100/-रु.)	लागू नहीं	18 से 25 के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सामान्य श्रेणी से संबन्धित सरकारी सेवक अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष तक की छूट)। टिप्पण 1: आयु सीमा निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी (तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड /विद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से परा-चिकित्साकर्मी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। [अथवा] मान्यता प्राप्त संस्थान से बहूद्देशीय स्वास्थ्यकर्मी पाठ्यक्रम धारक [अथवा] मान्यता प्राप्त राज्य नर्सिंग परिषद से सहायक नर्स मिडवाइफ़ का प्रमाण-पत्र तथा मान्यता प्राप्त राज्य परिषद में सहायक नर्स/ मिडवाइफ़ के तौर पर पंजीकृत किया गया हो [अथवा] मान्यता प्राप्त संस्थान से महिला बहूद्देशीय स्वास्थ्यकर्मी पाठ्यक्रम धारक। [अथवा] केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या इसके संतुल्य तथा

				नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम राज्य, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षदीप संघ शासित प्रदेश में इनके लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के जरिए की गई भर्ती के मामले में आयु-सीमा निर्धारण की महत्वपूर्ण तारीख वह अंतिम तारीख होगी जब तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं व्यवसायिक योजना के तहत एएमएम पाठ्यक्रम धारक। वांछनीय : कुष्ठ रोग में एक वर्ष का फील्ड अनुभव। टिप्पण 1: पूर्ण योग्यता के इतर अभ्यार्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2: यदि चयन में किसी चरण में सक्षम प्राधिकारी का मत है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इस समुदाय के ऐसे अभ्यार्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं है जिनमें अपेक्षित अनुभव नहीं है तो इन समुदाय से संबंधित अभ्यार्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधित योग्यता में छूट दी जाती है।

क्या सीधी भर्ती	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन

के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा ,में लागू होंगी	की अवधि यदि कोई हो।	होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।		परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के अंतर्गत वे अधिकारी: (क) जो नियमित आधार पर किसी समान पद पर पदस्थ है। अथवा मद संख्या (7) में उल्लिखित अर्हताओं सहित वेतन मैट्रिक्स (21700-69100) में स्तर-3 में तीन वर्षों की नियमित सेवा। टिप्पणी1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्रीय सरकार के उसी संगठन अथवा किसी अन्य संगठन अथवा किसी विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य	समूह ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. निदेशक, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण संस्थान, चिंगेलपट्टु - अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण संस्थान, चिंगेलपट्टु -सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण संस्थान, चिंगेलपट्टु -सदस्य।	1. लागू नहीं

			संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि को सम्मिलित करते हुए, सामान्य तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी2 : प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक न हो।		

सं. ए.12018/51/2019-कु छ

(बैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार